

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
1	प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना	2
2	श्रेणी II प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना	3
3	निवासी अलग- अलग व्यक्तियों के लिए विप्रेषण सुविधाएं	4
3.1	यात्रा	5
3.2	वेतन का विप्रेषण	6
3.3	निवासी अलग- अलग व्यक्तियों द्वारा अनिवासी भारतीय निकट संबंधियों के चिकित्सा व्यय को पूरा करना	7
3.4	भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड / अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड / स्टोर वैल्यू कार्ड आदि	7
4	अन्य उद्देश्यों के लिए विप्रेषण सुविधाएं	10
4.1	उपहार / दान	10
4.2	भारत में आवासीय प्लैट या वाणिज्यिक प्लॉट की बिक्री के लिए विदेशी एजेंटों को कमीशन	10
4.3	परामर्शदात्री सेवाओं के लिए विप्रेषण	10
4.4	निगमन-पूर्व व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विप्रेषण	11
4.5	विदेशी मुद्रा में शुल्क का भुगतान – दूतावास से संबद्ध शैक्षिक संस्थान	11
4.6	विदेशी टीवी मीडिया कंपनी के संग्रहीत अभिदान के भुगतान हेतु विप्रेषण	11
4.7	भारत में निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा में बोलियां	11
4.8	विदेशी टेलीफोन कार्डों की बिक्री	11
4.9	विदेशी तकनीकी करारों का उदारीकरण	11
4.10	भारत में ट्रेडमार्क या फ्रेंचाइज की खरीद हेतु विप्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण	12
4.11	एजेंटों द्वारा यात्रा-व्यवस्था के लिए विप्रेषण	12
5	गारंटी जारी करना- सेवा का आयात	13
6	प्राधिकृत व्यक्तियों को परिचालनात्मक अनुदेश	13
7	आयकर अनापत्ति	14
	अनुबंध I – एफ ई एम (सीएटी) नियमावली, 2000	15
	अनुबंध 2 – फार्म ए2	23
	परिशिष्ट	29

1. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना

1.1 भारत में निवासी व्यक्तियों को विभिन्न चालू खाता लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए, प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 के अधीन नियमों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे जो भारत सरकार की दिनांक 3 मई 2000 (अनु-1) की अधिसूचना सं जीएसआर 381 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 (बाद में उन्हें नियम कहा जाएगा) में वर्णित हैं। उक्त नियमों के अनुसार, अनुसूची I में सूचीबद्ध लेनदेनों की कुछ श्रेणियां स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं। अनुसूची II में शामिल लेनदेनों के लिए विनियम की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दी जा सकती है बशर्ते कि आवेदक ने भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय / विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो। नियमों की अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के लिए, विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। अनुसूची III में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा तक विदेशी मुद्रा जारी करने का कार्य प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सौंप दिया गया है। अनुसूची III में निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सभी आवेदन रिज़र्व के संबंधित विदेशी मुद्रा के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक कार्य कर रहा है।

1.2 विदेशी मुद्रा के 'आहरण' में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों (आईसीसी), अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों (आईडीसी), एटीएम कार्डों, आदि का प्रयोग शामिल है। अन्य बातों के साथ-साथ 'मुद्रा' में आईसीसी, आईडीसी तथा एटीएम कार्ड शामिल हैं। तदनुसार, अधिनियम के अधीन जारी सभी विनियम, नियम तथा निवेश आईसीसी, आईडीसी तथा एटीएम कार्ड के प्रयोग पर लागू होंगे।

1.3 नेपाल तथा भूटान की यात्रा तथा उनके निवासियों के साथ लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है।

1.4 प्रतिबंध:

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन लाटरी योजनाओं में किसी भी रूप में भाग लेने के लिए विप्रेषण प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, ये प्रतिबंध विभिन्न नामों से वद्यमान जैसे कि मुद्रा परिचलन योजना या प्राइज मनी/ अवार्ड आदि के विप्रेषण पर भी लागू होंगे।

1.5 कपटपूर्ण प्रस्ताव:

हाल के समय में धोखेबाज लोगों से पत्रों, ई मेल, मोबाइल फोन, एसएमएस आदि से सस्ती निधियां उपलब्ध कराने के छद्म प्रस्तावों की भरमार हो गई है। रिज़र्व बैंक के जाली पत्र शीर्ष पर तथा कथित रूप से उसके शीर्ष कार्यपालकों/ उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर से पत्र लक्षित व्यक्तियों को भेजे जा रहे हैं। बहुत से निवासी ऐसे प्रस्तावों के शिकार बन चुके हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारा धन खो बैठे हैं। रिज़र्व बैंक ने प्रिंट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसे छद्म योजनाओं / प्रस्तावों के बारे में जनता को कई बार सचेत किया है।

धोखेबाज भोले-भाले लोगों से प्रसंस्करण शुल्क/ लेनदेन शुल्क/ कर अनापत्ति प्रभार/ बदलाव प्रभार/ समाशोधन शुल्क आदि अनेक कारण बताते हुए धन की उगाही कर रहे हैं। धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों

को भारत स्थित बैंक-खातों में राशि जमा करवाने के लिए राजी कर लिया जाता है और ऐसी राशियाँ तुरंत ही आहरित कर ली जाती हैं। ऐसे लेनदेन की राशि प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में व्यक्तियों या स्वामित्व संस्थानों के नाम पर बहुत से खाते खुलवाये जा रहे हैं। इसलिए, एडी श्रेणी-1 के बैंक समुचित सावधानी बरतें और ऐसे खाते खोलते समय या इनमें लेनदेन की अनुमति देते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें। यदि भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भुगतान करने / विप्रेषण करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही, केवाईसी संबंधी विनियमन/ एएमएल मानकों का उल्लंघन करने के लिए भी वह कार्रवाई का पात्र होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक में भारत के किसी भी व्यक्ति/ कंपनी/ न्यास के नाम में कोई खाता नहीं खोला जाता जिसमें से धनराशि रखी या संवितरित की जाए।

2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना:

पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुविधाएं तथा कुशल ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-व्यापारिक चालू खाता लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II को लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी – श्रेणी II निम्नलिखित गैर – व्यापारिक चालू खाता लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने / विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं:

- क) निजी यात्रा,
- ख) विदेशी एजेंटों / प्रमुख पार्टियों / होटलों को टूर आपरेटरों / यात्रा एजेंटों द्वारा विप्रेषण,
- ग) कारोबारी यात्रा,
- घ) वैश्विक सम्मेलनों तथा विशिष्ट प्रशिक्षण में भाग लेने का शुल्क,
- ङ) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं (प्रशिक्षण प्रायोजन तथा प्राइज धन के लिए भाग लेने के लिए विप्रेषण,
- च) फिल्म शूटिंग,
- छ) विदेश में चिकित्सा,
- ज) क्रय को मजदूरी का वितरण,
- झ) विदेश में शिक्षा,
- ञ) विदेश में विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक संबद्धता व्यवस्था के अधीन विप्रेषण,
- ट) भारत में तथा विदेश में आयोजित परीक्षा के शुल्क के लिए विप्रेषण तथा जी आर ई, टी ओ ई एफ एल, आदि के लिए अतिरिक्त स्कोर राशि के लिए,
- ठ) विदेशी नौकरी आवेदनों के लिए नियोजन तथा प्रसंस्करण, आकलन शुल्क,
- ड) आप्रवास तथा आप्रवास परामर्श शुल्क,
- ढ) इच्छुक अप्रवासियों के लिए कौशल / विश्वसनीयता आकलन,
- ण) वीसा शुल्क,
- त) पुर्तगाली / अन्य सरकारों द्वारा यथावांछित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क,
- थ) अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पंजीकरण/ अभिदान/ सदस्यता शुल्क।

3. निवासी व्यक्तियों के लिए विप्रेषण सुविधाएं:

चालू खाता लेनदेनों के लिए विप्रेषण (अर्थात निजी यात्रा; उपहार / दान; रोजगार के लिए विदेश जाना; आप्रवास; विदेश में निकट संबंधियों का निर्वाह; कारोबारी ट्रिप; विदेश में चिकित्सा; विदेश में अध्ययन)

जो निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) संशोधन नियम 2015 दिनांक 26 मई 2015 की अनुसूची III के पैरा 1 के अधीन उपलब्ध हैं। 26 मई 2015 से उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) की प्रति वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डालर की योजना में निहित हैं (एलआरएस पर अनुदेश [1 जनवरी 2016 की उदारीकृत विप्रेषण योजना पर मास्टर निदेश](#) में उपलब्ध हैं। 2,50,000 अमेरिकी डालर से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

3.1 यात्रा:

3.1.1 यात्री को बेची जा रही समग्र विदेशी मुद्रा (2,50,000 अमेरिकी डालर प्रति वर्ष) विदेशी मुद्रा नोट तथा सिक्कों के रूप में विनिमय निम्नानुसार सीमा तक किया जा सकता है:-

- i. इराक, लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन तथा स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमण्डल में आने वाले अन्य गणराज्यों से इतर देशों की यात्रा पर जा रहे यात्री – प्रतियात्रा 3000 अमेरिकी डालर या उसके समतुल्य राशि से अधिक न हो।
- ii. इराक या लीबिया को जा रहे यात्री – प्रतियात्रा 5000 अमेरिकी डालर या उसके समतुल्य राशि से अधिक न हो।
- iii. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन तथा स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमण्डल में आने वाले अन्य गणराज्य – पूरी विदेशी मुद्रा जारी की जाए।
- iv. हज / उमराह की तीर्थयात्रा पर जा रहे यात्री – पात्रता की पूरी राशि नकदी में या भारत की हज समिति द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक जारी कर दी जाए।

3.1.2 प्रस्तावित देशों की यात्रा के लिए यात्री के अनुरोध पर होटल आवास, टूर व्यवस्थाओं, आदि के लिए प्राधिकृत व्यापारी एक यथोचित सीमा तक विदेशी मुद्रा विप्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत से बाहर रेल/ सड़क / पानी परिवहन प्रभार सहित भारतीय यात्रियों के लिए टूर से संबंधित व्यय तथा यूरो रेल, पास / टिकटों, आदि, तथा विदेशी होटल / हवाई यात्रा प्रभार 2,50,000 अमेरिकी डालर की नई सीमा में शामिल कर लिए गए हैं।

3.1.3 विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण के लिए अवधि

- i. यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती, तो वह संबंधित नियमों / विनियमों के अधीन अनुमत किसी और प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।
- ii. किसी भी निवासी व्यक्ति को प्राप्ति / वसूली / क्रय / अभिग्रहण / वापसी की तारीख से 180 दिन के भीतर प्राप्त / वसूल / अव्यतित / अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा अभ्यर्पित करने का सामान्य अधिकार प्राप्त है।

नोट: जहां कोई व्यक्ति अव्यतित / अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से 180 दिन की निर्धारित अवधि के बाद संपर्क करता है, तो प्राधिकृत व्यक्ति विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए केवल इस आधार पर कि निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है, खरीदने से मना न करे।

- iii. 180 दिन की उदारीकृत एक समान समय सीमा केवल निवासी व्यक्तियों और वस्तुओं और सेवाओं से इतर क्षेत्रों के लिए है। अन्य सभी मामलों में, अभ्यर्पण आवश्यकता के संबंध में विनियम / निदेश अपरिवर्तित रहेंगे ([अधिसूचना सं एफइएमए 9/2000 – आर बी दिनांक 3 मई 2000](#), समय-समय पर यथा संशोधित)।

3.1.4 खर्च न की गयी विदेशी मुद्रा

वापस आ रहा यात्री अपने पास कुल मिलाकर 2000 अमरीकी डालर की सीमा तक 180 दिन के बाद विदेशी मुद्रा, यात्री चेक तथा करेंसी नोट तथा असीमित विदेशी सिक्के रख सकता है। यात्री द्वारा इस प्रकार बचाकर रखी गई विदेशी मुद्रा बाद में विदेश यात्रा के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।

3.2 वेतन का विप्रेषण:

कोई व्यक्ति जो निवासी है लेकिन भारत में स्थायी निवासी नहीं है और

क. पाकिस्तान से इतर किसी विदेशी राज्य का नागरिक है; या

ख. भारत का नागरिक है, जो विदेशी कंपनी के कार्यालय या शाखा या सहायक कंपनी या भारत में स्थित ऐसी कंपनी के संयुक्त उद्यम के कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्ति पर है, अपने निवल वेतन (करों की कटौती, भविष्य निधि तथा अन्य कटौतियों के बाद) की राशि तक विप्रेषण कर सकता है

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति जो अपने रोजगार या विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर है (चाहे उसकी अवधि कुछ भी हो) या विशिष्ट कार्य या नियोजन, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो, निवासी माना जाता है लेकिन स्थायी निवासी नहीं।

3.3 निवासी व्यक्तियों द्वारा अपने अनिवासी भारतीय निकट संबंधियों का चिकित्सा व्यय का वहन करना:

जहां किसी अनिवासी भारतीय निकट संबंधी (¹कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथापरिभाषित) का चिकित्सा व्यय किसी निवासी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है, ऐसा व्यय निवासी से निवासी को लेनदेन होने के कारण अधिसूचना सं एफ ई एफ ए 16/ 2000 – आर बी दिनांक 3 मई, 2000 के विनियम 2 (i) के अधीन “उससे संबंधित सेवाओं” के अधीन कवर किया जाए।

3.4 भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्ड / अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड / स्टोर वैल्यू कार्ड आदि

3.4.1 अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

i. विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के नियम 5 में निहित प्रबंध भारत से बाहर दौरे पर निवासियों द्वारा व्यय के लिए भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के प्रयोग पर लागू नहीं होंगे।

ii. निवासी इंटरनेट पर किसी भी प्रयोजन के लिए आईसीसी का प्रयोग कर सकते हैं जिसके लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए पुस्तकों का आयात, डाउनलोड किए जा सकने वाले साफ्टवेयर की खरीद या विदेशी व्यापार नीति (एफ टी पी) के अधीन किसी अन्य अनुमत अन्य चीजों का आयात।

iii. इंटरनेट पर या अन्यथा आईसीसी का प्रतिबंधित मदों जैसे कि लाटरी टिकट, प्रतिबंधित पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक में भाग लेने, काल बैंक सेवाओं, आदि के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी मदों/ गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है।

¹ 'कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6' को 'कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77)' से प्रतिस्थापित किया गया है।

- iv. इंटरनेट के माध्यम से आईसीसी के प्रयोग के लिए कोई समग्र सीमा अलग से नहीं है।
- v. भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ या विदेश में किसी बैंक के साथ, जैसा कि वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन अनुमत है, विदेशी मुद्रा खाते रखने वाले निवासी व्यक्ति, विदेशी बैंकों तथा अन्य विख्यात एजेंसियों से आईसीसी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में या विदेश में, कार्ड पर प्रभार, कार्डधारक के विदेशी मुद्रा खाते (खातों में रखी निधियों में से या भारत से, केवल बैंक के माध्यम से जहां कार्ड धारक का चालू या बचत खाता है, से विप्रेषण, यदि कोई हो, में से दिए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए विप्रेषण विदेश में कार्ड जारी करने वाली एजेंसी को सीधे भी भेजा जा सकता है, और किसी अन्य पार्टी को नहीं। लागू सीमा कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण सीमा होगी। इस सुविधा के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा कोई विप्रेषण, यदि कोई हो की मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- vi. नेपाल तथा भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए आईसीसी के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
- vii. एडी, एनआरआई/ पीआईओ को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना आईसीसी जारी कर सकते हैं बशर्ते आईसीसी के प्रयोग पर प्रभार का निपटान संबंधित एनआरआई/ पीआईओ द्वारा आवक विप्रेषणों या (एनआरआई)खातों/ (एफ सी एन आर) खातों में रखी शेषराशि में से किया जाए।

3.4.2. अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड (आईडीसी)

- i. विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत बैंक आईडीसी जारी कर सकते हैं जिनका प्रयोग निवासी द्वारा उसके विदेश में दौरे के दौरान नकदी आहरण के लिए या किसी व्यापारिक स्थापना के भुगतान के लिए किया जा सकता है। आईडीसी प्रयोग केवल चालू खाता लेनदेनों के लिए अनुमत है और समयसमय पर यथासंशोधित नियमों की अनुसूची में उल्लेख किए गए अनुसार इन कार्डों के प्रयोग पर भुगतान की सीमा लागू है।
- ii. आई डी सी का प्रयोग इंटरनेट पर प्रतिबंधित मदों जैसे कि लाटरी टिकट, प्रतिबंधित पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक में भाग लेने, काल बैंक सेवाओं, आदि के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी मदों / गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है।

3.4.3. हवाई टिकटों के भुगतान के लिए क्रेडिट / डेबिट कार्ड का प्रयोग

कुछ मामलों में जहां टिकट के लिए भुगतान निवासियों द्वारा क्रेडिट / डेबिट कार्ड से किया जाता है, कार्ड कंपनियाँ भारत में परिचालन कर रही विदेशी कंपनियों को सुविधा दे रही है कि अपनी पसंद के देश और मुद्रा का भारतीय रुपयों में हवाई टिकटों की बिक्री के लिए चयन कर सकें। ऐसे लेनदेनों में, विदेशी बैंक कार्ड जारी करने वाली कंपनी से अपने वोस्ट्रो खाते में भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास रखे खाते में निधियाँ प्राप्त करता है या विदेश में रखे अपने विदेशी मुद्रा खाते में प्राप्त करता है और विदेशी कंपनी को विदेश में विदेशी मुद्रा खाते में भुगतान कर देता है। विदेशी हवाई कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही यह प्रथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के वर्तमान उपबंधों के अनुरूप नहीं है। इसलिए श्रेणी I - बैंक विदेशी कंपनियों को सूचित कर दें कि भारत में हवाई टिकटों की बिक्री के निबटान के लिए विदेशी बैंकों का प्रयोग करने की प्रथा समाप्त कर दें।

3.4.4. स्टोर वैल्यू कार्ड / चार्ज कार्ड / स्मार्ट कार्ड, आदि

प्राधिकृत डीलर बैंक विदेश में निजी / कारोबारी यात्रा पर जा रहे निवासियों को स्टोर वैल्यू कार्ड/चार्ज कार्ड/स्मार्ट कार्ड जारी कर सकते हैं जो विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भुगतान करने और एटीएम टर्मिनलों से नकदी निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कार्ड जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमती आवश्यक नहीं है। तथापि, ऐसे कार्डों का प्रयोग अनुमत चालू खाता लेनदेनों तक सीमित है और समय – समय पर यथासंशोधित एफआईएम (सीएटी) नियम, 2000 में निर्धारित सीमा के अधीन होंगे।

ऐसे लिखतों/ कार्डों पर भारत में देय शुल्क/ प्रभार को रुपये में ही मूल्यवर्गित किया जाना है और उनका निपटान भी रुपये में ही किया जाना है।²

3.4.5 पूर्वदत्त यात्रा कार्ड पर अप्रयुक्त शेष का विमोचन

जो निवासी भारतीय अपने यात्रा कार्ड खरीदते हैं, उन्हें अप्रयुक्त शेष की वापसी पिछले लेनदेन के 10 दिन बाद ही की जाएगी और तदनुसार, यह शर्त “प्रयोक्ता गाइड” में उल्लिखित है। चूंकि यह अपेक्षित है कि ये कार्ड, नकदी / यात्रा चेकों का स्थान लेंगे, प्रयोक्त को उपलब्ध सुविधाएं उसी प्रकार की होंगी। तदनुसार, सभी प्राधिकृत व्यक्ति निवासी भारतीयों द्वारा अनुरोध करने पर इन कार्डों में उपयुक्त बकाया राशि तुरंत विमोचित करेंगे बशर्ते कि निम्नलिखित राशियाँ रखे जाएं।

- i. जो खाते प्राधिकृत हैं और विमोचन की तारीख से संबंधित निपटान चक्र तक दावे रहित / निपटान नहीं होते ;
- ii. संबंधित निपटान चक्र पूरा होने तक पाइपलाइन लेनदेन पूरा करने के लिए 100 अमरीकी डालर से अनधिक एक छोटा सा शेष; तथा
- iii. रुपयों में देय भारत में लेनदेन शुल्क / सेवा कर
- iv. जो राशि प्राधिकृत है लेकिन जिसके लिए दावा नहीं किया गया। प्राप्तकर्ता द्वारा निबटान नहीं किया गया है, ऐसे कार्डों को जारी करने वाला ऐसी राशियाँ प्राप्तकर्ताओं द्वारा निर्धारित निबटान फ्रेमवर्क में प्रसंस्करण / निबटान होने तक रख सकता है।

4 अन्य के लिए विप्रेषण सुविधाएं

4.1 उपहार / दान

व्यष्टियों से इतर व्यक्तियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उनके विदेश मुद्रा अर्जन के एक प्रतिशत तक या 5,000,000 अमरीकी डालर तक, जो भी कम हो, का विप्रेषण अग्रलिखित के लिए करने की सामान्यतया अनुमति दी जाती है क) विख्यात शैक्षिक संस्थानों में पीठों की स्थापना; ख) शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रवर्तित निधियों (जो निवेश निधि न हों) में अंशदान; तथा ग) दानदाता कंपनी की गतिविधि से जुड़े क्षेत्र में कार्यरत किसी तकनीकी संस्थान या निकाय या संघ को अंशदान। इसके अतिरिक्त कोई विप्रेषण, जो इससे अधिक राशि का हो, के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए विप्रेषण करने का आवेदन मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग (ई पी डी), केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400001 को भेजा जाए और उसके साथ क) पिछले 3 वर्ष में उनके विदेशी मुद्रा अर्जन ब्योरा; ख) कंपनी की गतिविधियों की संक्षिप्त

² इसे 09 मई 2023 के ए.पी. (डीआईआर) परिपत्र सं. 04 द्वारा जोड़ा गया।

पृष्ठभूमि; ग) किए गए दान का प्रयोजन; तथा घ) उक्त कॉरपोरेट को होने वाले संभावित लाभ का ब्योरा भी दिया जाए।³

4.2 भारत में आवासीय फ्लैट या वाणिज्यिक प्लॉट की बिक्री के लिए विदेश में एजेंटों को कमीशन
अलग – अलग व्यक्तियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। यदि भारत में आवासीय फ्लैट या वाणिज्यिक प्लॉट की बिक्री के लिए विदेश में एजेंट को प्रति लेनदेन के लिए कमीशन 25,000 अमरीकी डालर या आवक विप्रेषण के पाँच प्रतिशत से अधिक है, जो भी अधिक हो।

4.3 परामर्शी सेवाओं के लिए विप्रेषण

अलग – अलग व्यक्तियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है यदि मूलभूत परियोजनाओं के संबंध में प्रति परियोजना की परामर्शी सेवाओं के लिए विप्रेषण 10,000,000 अमरीकी डालर और भारत से बाहर प्राप्त परामर्शी सेवाओं के लिए 1,000,000 प्रतिपूर्ति परियोजना अमरीकी डालर से अधिक है।

स्पष्टीकरण:- इस उप – पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त “मूलभूत” का अभिप्राय यथा संशोधित [फेमा अधिसूचना 3 / 2000 – आर बी दिनांक 3 मई 2000](#) के पैरा 1(iv)(A)(a) में परिभाषित अनुसार होगा।

4.4 निगमनपूर्व व्यय की पुनः प्रतिपूर्ति के लिए विप्रेषण

भारत में किसी संस्थान द्वारा निगमनपूर्व व्यय की पुनः प्रतिपूर्ति के लिए अलग – अलग व्यक्तियों से इतर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में लाये गए निवेश के पाँच प्रतिशत या 1,00,000 अमरीकी डालर, जो भी उच्चतर, से अधिक हो रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

4.5 विदेशी मुद्रा में शुल्क का भुगतान – दूतावास से संबद्ध शैक्षिक संस्थान

प्राधिकृत व्यापारी विदेशी दूतावासों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों / शैक्षिक संस्थाओं को शुल्क के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं।

4.6 विदेशी टी वी मीडिया कंपनी को संग्रहीत अभिदान के भुगतान के लिए विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी – रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारत में विदेशी टीवी मीडिया कंपनी के केबल आपरेटर या संग्रहण एजेंट को भारत में संग्रहीत अभिदान / विदेश टीवी चैनल पर विज्ञापन के लिए पात्र विज्ञापकों से प्राप्त विज्ञापन प्रभारों के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

4.7 भारत में निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा में बोलियां

भारत में निवासी व्यक्तियों को वैश्विक बोलियों के संबंध में जहां केंद्रीय सरकार ने भारत में निष्पादित करने के लिए ऐसी परियोजनाओं को प्राधिकृत किया है, विदेशी मुद्रा में देयता लेने तथा विदेशी मुद्रा में भुगतान करने या प्राप्त करने की अनुमति है। ऐसे मामलों में, प्राधिकृत व्यापारी उस संबंधित निवासी भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं जिसे संविदा दी गई है।

4.8 विदेशी टेलीफोन कार्ड की बिक्री

प्राधिकृत व्यापारी टेलीफोन कार्ड को जारी करने वालों को, अपना कमीशन घटा कर, ऐसे कार्डों की बिक्री आय के विप्रेषण को विदेशी संगठनों के भारतीय एजेंटों को विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

³ आशोधन में हटा दिया गया है।

4.9 विदेशी तकनीकी सहयोग व्यवस्थाओं का उदारीकरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति के बिना ए डी श्रेणी- 1 बैंक तकनीकी सहयोग व्यवस्थाओं के अधीन रॉयल्टी के भुगतान तथा एकमुश्त भुगतान के लिए व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति दे सकते हैं।

4.10 भारत में ट्रेडमार्क या फ्रैंचाइज़ खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण

ए डी श्रेणी 1 बैंक, व्यक्ति को भारत में ट्रेडमार्क या फ्रैंचाइज़ खरीदने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति दे सकते हैं।

4.11 एजेंटों द्वारा टूर व्यवस्था करने के लिए विप्रेषण

4.11.1 प्राधिकृत व्यापारी होटल आवास उपलब्ध करने या भारत से यात्रा के लिए आय व्यवस्था करने के लिए विदेश में होटल / एजेंटों, आदि से टाय-अप रखने वालों को विप्रेषण कर सकते हैं बशर्ते कि प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि लागू नियमों, विनियमों तथा निवेश के अनुसार विप्रेषण संबंधित यात्री द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति (विदेश में निजी यात्रा के लिए आहरत विदेशी मुद्रा सहित) से खरीदी गई मुद्रा में से किया जा रहा है।

4.11.2 प्राधिकृत व्यापारी भारत में उन एजेंटों के नाम में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं जिनका होटल आवास या भारत से यात्रियों के लिए टूर व्यवस्था करने के लिए विदेश में होटलों / एजेंटों से टाय अप व्यवस्था है।

बशर्ते

- i) खाते में क्रेडिट निम्नलिखित जमा करवाने के कारण है
क) यात्रियों से विदेशी मुद्रा में संग्रहण; तथा
ख) बुकिंग / टूर व्यवस्था, आदि को रद्द करने के कारण भारत से बाहर से प्राप्त रिफंड; तथा
- ii) विदेशी मुद्रा में डेबिट भारत से बाहर होटल आवास / टूर व्यवस्था, आदि के भुगतान के लिए है।

4.11.3 प्राधिकृत व्यापारी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कमीशन / मार्क अप घटा कर एजेंट को देय टूर परिचालक को भारत से बाहर रेल / सड़क / जल / परिवहन प्रभार के लिए लागत की विप्रेषण की अनुमति दे सकता है। भारत में पास / टिकट की बिक्री या तो भारतीय रूपये में या विदेश में यात्रा के लिए जारी विदेशी मुद्रा के विरुद्ध किया जा सकता है।

4.11.4 प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से अग्रिम भुगतान / प्रतिपूर्ति के विरुद्ध भारत तथा पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, आदि की यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा एजेंटों द्वारा व्यवस्था किए गए, ऐसी समेकित टूर व्यवस्था के लिए भारत में प्राप्त आंशिक विदेशी मुद्रा, हो सकता है कि इन देशों में यात्रा एजेंटों और होटल वालों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए, भारत से इन देशों को विप्रेषित करनी पड़े। प्राधिकृत व्यापारी यह सत्यापन करने के बाद कि पड़ोसी देशों को विप्रेषित की जा रही राशि (पहले से टूर के लिए विप्रेषण सहित, यदि कोई हो) वास्तव में भारत को विप्रेषित राशि से अधिक नहीं है और हिताधिकारी के आवास का देश पाकिस्तान नहीं है, विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

5 गारंटी जारी करना – सेवा का आयात

5.1 ए डी श्रेणी- I बैंकों को निवासी ग्राहक जो कि सेवा आयातक है की ओर से अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में या बराबर राशि 500,000 अमरीकी डालर से अनधिक राशि के लिए गारंटी जारी करने की अनुमति है, बशर्ते

- i) ए डी श्रेणी- I बैंक लेनदेन की सदाशयत के बारे में संतुष्ट है,
- ii) ए डी श्रेणी –I बैंक यथासमय सेवाओं के आयात के लिए दस्तावेजी प्रमाण की प्रस्तुति सुनिश्चित करता है।
- iii) गारंटी का उद्देश्य निवासी तथा अनिवासी के बीच संविदा के कारण प्रत्यस्त संविदागत देयता को सुनिश्चित करना है।

5.2 किसी सरकारी क्षेत्र की कंपनी या भारत सरकार / राज्य सरकारों के विभाग / उपक्रम के मामले में 100,000 अमरीकी डालर या उसके बराबर की राशि से अधिक की राशि के लिए गारंटी जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. प्राधिकृत व्यक्तियों को परिचालनगत अनुदेश

6.1 रिज़र्व बैंक ऐसे दस्तावेज निर्धारित नहीं करेगा जो विभिन्न लेनदेनों, विशेषकर चालू खाता लेनदेनों के लिए विप्रेषण की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए।

6.2 अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 में निहित उपबंधों के अनुसार, किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी के लिए आवश्यक है कि जिस व्यक्ति की ओर से लेनदेन किया जा रहा है, उससे एक घोषणा तथा अन्य सूचना प्राप्त करे जिससे वह यथोचित रूप से संतुष्ट हो कि लेनदेन से अधिनियम के उपबंधों या किसी नियम या विनियम या अधिसूचना या निवेश या अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। लेनदेन करने से पहले प्राधिकृत व्यापारी प्राप्त सूचना/ दस्तावेज संभाल कर रखें ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन किया जा सके। आवेदन में सही विवरण देने की ज़िम्मेदारी उस आवेदक की होगी जिसने ऐसे विप्रेषण के प्रयोजन के संबंध में विवरण सत्यापित किए हैं।

6.3 जिस व्यक्ति की ओर से लेनदेन किया जा रहा है, प्राधिकृत व्यक्ति को मना कर देता है या आवश्यकता के संबंध में संतोषजनक अनुपालन नहीं देता, तो वह लिखित रूप में लेनदेन करने से इनकार कर देगा और यदि वह समझता है कि उस व्यक्ति द्वारा उल्लंघन / बचने की मंशा है, तो मामले की सूचना रिज़र्व बैंक को देगा।

6.4 मध्यवर्ती व्यापार के संबंध में आयात और विप्रेषण से इतर भुगतान के लिए, आवेदक फार्म ए 2 (अनुबंध 2) भरेगा। फार्म ए 2 तथा संबंधित दस्तावेज़ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे ताकि उनके आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जा सके।

6.5 25,000 अमरीकी डालर से अनधिक के चालू खाता लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी आवेदक से एक आसान सा पत्र ले लें जिसमें आवेदक का नाम और पता और हिताधिकारी, विप्रेषित की जाने वाली राशि और विप्रेषण का उद्देश्य दिया जाएगा। तथापि, यह इस शर्त के अधीन है कि भुगतान आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक या मांग ड्राफ्ट से किया जाता है। ए डी बैंक डम्मी ए – 2 तैयार करेंगे ताकि वे भुगतान संतुलन के लिए सांख्यिकीय सूचना के लिए विप्रेषण का उद्देश्य दे सकें।

6.6. ⁴विविध विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने और कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे प्राधिकृत व्यापारी ए2 की ऑनलाइन प्रस्तुति की अनुमति दें। इसके अलावा, यदि और जब आवश्यक हो, वे दस्तावेजों की अपलोडिंग / प्रस्तुति भी सुनिश्चित करें। फेमा, 1999 के अधीन वर्तमान नियमों या विनियमों की स्वीकार्यता स्थापित की जा सके। जिन विप्रेषणों के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है (उदाहरण के लिए एलआरएस के अधीन कुछेक लेनदेन) वे फार्म ए 2 मात्र के आधार पर कर दिए जाएं। शुरुआत के तौर पर, ऑनलाइन प्रस्तुति के आधार पर विप्रेषण व्यक्तियों के लिए 25,000 अमरीकी डालर (या उसके बराबर) तथा कंपनियों के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर (या उसके बराबर) तक की सीमा तक उपलब्ध होंगे। यह ध्यान में रखा जाए कि एफईएमए की धारा 10(5) के अनुसार विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी बैंक की संतुष्टि की शर्त पर होंगे। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी बैंक सांविधिक / विनियामक उपबंधों की परिधि के भीतर ग्राहकों के लिए लेनदेनों को सहज बनाने के लिए ग्राहक इंटरफेस के लिए यथोचित दिशानिर्देश तैयार करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी तथा / या परिचालन कार्यविधियों में यथोचित परिवर्तन तुरंत किए जाएं।

7. आय कर अनापत्ति

अनिवासी को विप्रेषण की अनुमति देते समय स्रोत पर कर काटने के संबंध में रिज़र्व बैंक फेमा के अधीन कोई अनुदेश जारी नहीं करेगा। प्राधिकृत व्यापारी के लिए लागू कर कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।

⁴ इसे [ए.पी.\(डीआईआर शृंखला\) परिपत्र सं. 50, दिनांक 11 फरवरी 2016](#) द्वारा जोड़ा गया।

विदेशी विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 अधिसूचना सं जी.एस.आर. 381 (ई) दिनांक 3 मई, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 तथा उप – धारा (1) तथा धारा 46 की उप – धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और रिज़र्व बैंक से परामर्श करके, केन्द्र सरकार जनहित आवश्यक समझे जाने के कारण, निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ –

- (1) ये नियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 कहलाये जाएंगे,
- (2) ये 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे

2. परिभाषाएं – इन नियमों, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो:

- क) “अधिनियम” का अभिप्राय है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)
- ख) “आहरण” का अभिप्राय है किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण और इसमें साख पत्र खोलना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग या अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम या किसी भी नाम से कोई अन्य वस्तु जिसका प्रभाव विदेशी मुद्रा की देयता उत्पन्न करना है ;
- ग) “अनुसूची” का अभिप्राय है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची;
- घ) इन नियमों में परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम में परिभाषित, का अभिप्राय अधिनियम में दिए गए अभिप्राय होंगे।

3. विदेशी मुद्रा के आहरण पर प्रतिबंध – किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण प्रतिबंधित है, नामतः:

- क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन ; या
- ख) नेपाल तथा / या भूटान की यात्रा ; या
- ग) नेपाल या भूटान में निवासी किसी व्यक्ति के साथ लेनदेन बशर्ते खंड(ग) में प्रतिबंध को रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से छूट दे दी जाए।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन – कोई भी व्यक्ति अनुसूचित II में शामिल किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा;

बशर्ते कि यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां भुगतान विप्रेषक के आर एफ सी खातों में रखी निधियों में से किया गया हो।

5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन

अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का प्रत्येक आहरण उसमें उल्लिखित अनुसार नियंत्रित होगा।

बशर्ते कि यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां भुगतान विप्रेषक के आर एफ सी खाते में रखी निधियों में से किया गया हो।

6. (1) नियम 4 या नियम 5 में कुछ होते हुए भी वह विप्रेषक के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता(ईईएफसी) खातों में रखी निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगा।

(2) उप – नियम (1) में कुछ होते हुए भी नियम (4) या नियम (5) के अधीन लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे जहां ईईएफसी खाते में से आहरण अनुसूची II की मद संख्या 10 और 11 या अनुसूची III की मद संख्या 3, 4, 11, 16 तथा 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है।

7. भारत से बाहर रहते समय अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग

नियम 5 में निहित कुछ भी भारत से बाहर दौरे पर ऐसे व्यक्ति द्वारा खर्च को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्ड के प्रयोग पर लागू नहीं होगा।

अनुसूची ।

ऐसे लेनदेन जो प्रतिबंधित हैं (नियम 3 देखें)

1. लाटरी जीत में से विप्रेषण।
2. रेसिंग / राइडिंग, आदि या अन्य किसी से आय का विप्रेषण।
3. लाटरी टिकट, प्रतिबंधित / वर्जित पत्रिकाओं, फुटबाल पूल्स, स्वीपस्टेक, आदि की खरीद के लिए विप्रेषण।
4. भारतीय कंपनियों की विदेश में संयुक्त उद्यमों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान।
5. किसी ऐसी कंपनी द्वारा लाभांश का विप्रेषण जिस पर लाभांश संतुलन की आवश्यकता लागू है।
6. रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान, सिवाय चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10% तक कमीशन।
7. टेलीफोन की "काल बैक सर्विसेज" से संबंधित भुगतान।
8. नॉन - रेसीडेंट स्पेशल रूपी (खाता) योजना में धारित निधियों पर ब्याज आय का विप्रेषण

अनुसूची II

ऐसे लेनदेन जिनके लिए केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है (नियम 4 देखें)

विप्रेषण का प्रयोजन	भारत सरकार के मंत्रालय (विभाग का नाम जिसका अनुमोदन आवश्यक है)
1. सांस्कृतिक दौरे	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा तथा संस्कृति विभाग)
2. पर्यटन के संवर्धन से इतर प्रयोजनों के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन राज्य सरकार तथा उसकी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डालर से अधिक)	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा चार्टर किए गए वैसल का मालभाड़ा	भूतल मंत्रालय (चार्टरिंग विंग)
4. सी.आई.एफ. आधार पर (अर्थात् एफ.ओ.बी. और एफ.ए.एस. आधार से इतर) सरकारी विभाग या पी.एस.यू. द्वारा समुद्र परिवहन से आयात का भुगतान	भूतल मंत्रालय (चार्टरिंग विंग)
5. विदेश में अपने एजेंटों को विप्रेषण कर रहे बहुविध परिवहन परिचालक	नौवहन के महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाणपत्र
6. ट्रांसपोंडर के किराया प्रभार का प्रेषण क) टी वी चैनलों ख) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (संचार और सूचना प्रद्योगिक मंत्रालय)

7. नौवहन के महानिदेशक द्वारा निर्धारित दर से कन्टेनर डिटेन्शन प्रभार का विप्रेषण	भूतल मंत्रालय (नौवहन का महानिदेशक)
8. हटा दिया गया है	
9. अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तर के खेलकूद निकायों से इतर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में प्राइज़ मनी / खेलकूद गतिविधि का विप्रेषण यदि राशि 100,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है	मानव संसाधन विकास (मंत्रालय युवा गतिविधि तथा खेलकूद विभाग)
10. हटा दिया गया है	
11. पी एंड आई क्लब की सदस्यता के लिए विप्रेषण	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III (नियम 5 देखें)

**भारत सरकार की अधिसूचना सं जी.एस.आर. 426 (ई) दिनांक 26 मई, 2015 द्वारा अधिसूचित
अलग – अलग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं -**

1 2,50,000 अमरीकी डालर की सीमा तक अलग – अलग व्यक्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधा ले सकते हैं। निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उक्त सीमा से अधिक किसी अतिरिक्त विप्रेषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

- i) किसी देश का निजी दौरा (नेपाल और भूटान को छोड़ कर)
- ii) उपहार या दान
- iii) रोजगार के लिए विदेश जाना
- iv) आप्रवासन
- v) विदेश में निकट संबंधियों का निर्वाह
- vi) कारोबार के लिए या सम्मेलन में या विशिष्ट प्रशिक्षण या चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए व्यय, विदेश में चेक – अप या चिकित्सा चेक – अप के लिए विदेश जाने के लिए अटेंडेंट के तौर पर जाने के लिए
- vii) विदेश में चिकित्सा के लिये व्यय
- viii) विदेश में अध्ययन
- ix) कोई अन्य चालू खाता व्यय

बशर्ते कि मद संख्या (iv), (vii) तथा (viii) पर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति यदि उत्प्रवास के देश, इलाज करने वाला चिकित्सा संस्थान या विश्वविधालय के कहने पर [फेमा अधिसूचना 1/ 2000 – आर बी. दिनांक 3 मई, 2000](#) के विनियम 4 के अनुसार उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा ले सकता है।

बशर्ते यह भी कि यदि व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन विप्रेषण करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लागू सीमा 2,50,000 अमरीकी डालर (दो सौ और पचास हजार मात्र) से विप्रेषित राशि की सीमा तक कम हो जाएगी।

बशर्ते यह भी कि यदि व्यक्ति निवासी है लेकिन स्थायी रूप से भारत में निवासी नहीं है और

क) पाकिस्तान से इतर किसी विदेशी राज्य का नागरिक है; या

ख) भारत का नागरिक है जो ऐसी विदेशी कंपनी या सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम के कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त है,

अपने निवल वेतन की सीमा तक (करों की कटौती, भविष्य निधि तथा अन्य कटौतियों के बाद) विप्रेषण कर सकता है

स्पष्टीकरण इस मद के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति जो अपने रोजगार या विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर है (चाहे उसकी अवधि कुछ भी हो) या विशिष्ट कार्य या नियोजन जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो निवासी है लेकिन स्थायी निवासी नहीं:

बशर्ते यह भी कि किसी अलग व्यक्ति से इतर व्यक्ति, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उक्त उदारीकृत विप्रेषण सीमा के भीतर विदेशी मुद्रा का लाभ उठा सकता है।

अलग – अलग व्यक्ति से इतर व्यक्ति के लिए:-

2. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

i) पिछले तीन वित्तीय वर्ष में उनके विदेशी मुद्रा अर्जन के एक प्रतिशत तक या 5,000,000 अमेरिकी डालर तक, जो भी कम हो

क) विख्यात शैक्षिक संस्थानों में पीठ की स्थापना,

ख) निधियों में अंशदान (निवेश निधि न हो) संस्थानों द्वारा प्रवर्तित

ग) दान देने वाली कंपनी की गतिविधि के क्षेत्र में तकनीकी संस्थान या

निकाय या संघ को अंशदान के लिए

ii) भारत में आवासीय फ्लैट या वाणिज्यिक प्लॉट की बिक्री के लिए विदेश में एजेंट को प्रति लेनदेन के लिए कमीशन 25,000 अमेरिकी डालर या आवक विप्रेषण के पांच प्रतिशत से अधिक, जो अधिक हो, कमीशन

iii) मूलभूत परियोजनाओं के सम्बंध में प्रति परियोजना में परामर्श सेवा के लिये 10,000,000 अमेरिकी डालर से अधिक विप्रेषण और भारत से बाहर प्राप्त प्रति परियोजना 1,000,000 अमेरिकी डालर

स्पष्टीकरण:- इस उप – पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त “मूलभूत” का अभिप्राय यथा संशोधित [फेमा अधिसूचना 3 / 2000 – आर बी दिनांक 3 मई 2000](#) के पैरा 1(iv)(A)(a) में परिभाषित अनुसार होगा।

iv) भारत में किसी संस्थान द्वारा निगमन पूर्व व्यय की पुनः प्रतिपूर्ति के लिए भारत में लाये गए निवेश के पाँच प्रतिशत या 1,00,000 अमेरिकी डालर, जो भी उच्चतर हो।

3. कार्यविधि

इस अनुसूची के अधीन विदेशी मुद्रा का आहरण या विप्रेषण की कार्यविधि वही होगी जो एलआरएस के अधीन विप्रेषण के लिये है।

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में जी.एस.आर 381(ई), दिनांक 3 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए।

फॉर्म ए2

(आवेदक द्वारा पूर्ण किया जाए)

आयात एवं मध्यस्थ व्यापार सहित विप्रेषण से इतर
भुगतान हेतु

एडी कोड सं.-----

फॉर्म सं.-----

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाए)

करेंसी-----राशि-----रुपए के समतुल्य-----

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पूर्ण किया जाए)

विदेश में विप्रेषण हेतु आवेदन

मैं/हम-----

(विप्रेषक आवेदक का नाम)

पैन नंबर:- -----

(25,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक के विप्रेषण एवं सभी पूंजीगत खाता लेनदेनों हेतु)

पता:-----

(प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम)

को अधिकृत करते हैं कि वह अपने प्रभार सहित मेरे बचत बैंक/चालू/आरएफसी/ईईएफसी खाता सं. नामे
करे एवं

* क) ड्राफ्ट जारी करे : लाभग्राही का नाम-----

पता-----

* ख) विदेशी विनिमय विप्रेषण को सीधे प्रभाव में लाए -

1. लाभग्राही का नाम-----

2. बैंक का नाम तथा पता-----

3. खाता संख्या-----

* ग) यात्री चेक इनके लिए जारी-----

* घ) इस राशि के लिए विदेशी करेंसी नोट जारी-----

(करेंसी का उल्लेख करे)-----

क्र.सं.	क्या एलआरएस के तहत है (हां/नहीं)	उद्देश्य कोड	ब्योरा
		अनुबंध के अनुसार	

विप्रेषक को समुचित उद्देश्य कोड के सम्मुख (✓) का निशान लगाना चाहिए। शंका/परेशानी की स्थिति में
प्राधिकृत व्यापारी बैंक से सलाह लेनी चाहिए।

⁵ अनुबंध 2 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 50, दिनांक 11 फरवरी 2016 द्वारा प्रतिस्थापित.

घोषणा (फेमा 1999 के अधीन)

1. # मैं----- (नाम) एतत् द्वारा घोषित करता हूँ कि इस आवेदन सहित इस वित्त वर्ष में भारत में सभी स्रोतों से क्रय या विप्रेषित विदेशी मुद्रा की कुल राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उदारीकृत विप्रेषण योजना में निर्धारित समग्र सीमा के अंदर ही है एवं प्रमाणित करता हूँ कि इस विप्रेषण से संबंधित निधियों का स्रोत मेरा है एवं विदेशी मुद्रा का उपयोग प्रतिबंधित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च)----- में उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत किए गए विप्रेषण/किए गए लेनदेनों के ब्योरे

क्र.सं	तारीख	राशि	उस प्राधिकृत व्यापारी की शाखा/एफएफएमसी का नाम तथा पता जिसके माध्यम से लेनदेन किया गया

2. # इस आवेदन सहित इस वर्ष भारत में सभी स्रोतों से खरीदी गई या विप्रेषित विदेशी मुद्रा की कुल राशि ----- अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर-----) है जो कि इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा के अंदर है।

3. # आपसे खरीदी हुई विदेशी मुद्रा उक्त उद्देश्य के लिए है।

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

तारीख:-

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र सत्ता द्वारा किया/को नहीं जा रहा है एवं विप्रेषण इस योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के मुताबिक किया जा रहा है।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम:-

स्टाम्प एवं मुहर

हस्ताक्षर:-

तारीख:-

स्थान:-

एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग के लिए उद्देश्य कोड

क. भुगतान का उद्देश्य (बीओपी फाइल में उपयोग के लिए)

जीआर नं.	उद्देश्य समूह का नाम	उद्देश्य कोड	विवरण
00	पूंजी खाता	S0017	उत्पादन रहित गैर-वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण (पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि सरीखी अमूर्त आस्तियों की खरीद, सरकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग) - सरकार
		S0019	उत्पादन रहित गैर-वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण (पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि सरीखी अमूर्त आस्तियों की खरीद, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग) - गैर-सरकारी
		S0026	पूंजीगत अंतरण (गारंटी भुगतान, सरकारी/अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला निवेश अनुदान, असाधारण रूप से बड़े गैर-जीवन बीमा दावे) - सरकारी
		S0027	पूंजीगत अंतरण (गारंटी भुगतान, गैर-सरकारी निवेश अनुदान, असाधारण रूप से बड़े गैर-जीवन बीमा दावे) - गैर-सरकारी
		S0099	अन्यत्र शामिल न किए गए अन्य पूंजीगत भुगतान
वित्तीय लेखा			
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	S0003	ईक्विटी शेयरों में विदेश (शाखाओं में एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में) में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश
		S0004	ऋण लिखतों में विदेश (शाखाओं में एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में) में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश
		S0005	विदेश में भारतीय निवेश - रियल एस्टेट में
		S0006	भारत में समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - ईक्विटी शेयर में
		S0007	भारत में समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - ऋण लिखत में
		S0008	भारत में समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - रियल एस्टेट में
	विदेशी संविभाग निवेश	S0001	विदेश में भारतीय संविभाग निवेश - ईक्विटी शेयर में
		S0002	विदेश में भारतीय संविभाग निवेश - ऋण लिखत में
		S0009	भारत में समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा किए गए विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन -ईक्विटी शेयर में
		S0010	भारत में समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा किए गए विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन - ऋण लिखत में
	बाह्य वाणिज्यिक उधार	S0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण
		S0012	अनिवासियों से प्राप्त ऐसे दीर्घावधि एवं मध्यम अवधि वाले ऋणों की चुकौतियां जिनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष से अधिक थी
	अल्पावधि ऋण	S0013	अनिबासियों से प्राप्त ऐसे अल्पावधि वाले ऋण की चुकौतियां जिनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष से अधिक थी

	बैंकिंग पूंजी	S0014	अनिवासी जमा (एफसीएनआर(बी) / एनआर(ई)आरए आदि) का प्रत्यावर्तन
		S0015	प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अपने स्वयं के खाते में लिए गए ऋण एवं ओवरड्राफ्ट एवं ऋण का प्रत्यावर्तन
		S0016	अन्य विदेशी करेंसी के प्रति विदेशी करेंसी की बिक्री
	वित्तीय व्युत्पन्न एवं अन्य	S0020	वित्तीय व्युत्पन्न लेनदेन के तहत मार्जिन भुगतान, प्रीमियम भुगतान व समायोजन राशि आदि के भुगतान
		S0021	कर्मचारी स्टॉक विकल्प के तहत शेयरों की बिक्री के भुगतान
		S0022	भारतीय जमा रसीदों (आईडीआर) में निवेश
		S0023	विदेश में बैंक में विदेशी करेंसी खाता खोलना
	बाह्य सहायता	S0024	भारत द्वारा प्रदान की गई बाह्य सहायता अर्थात् विभिन्न करारों के तहत विदेशी सरकारों को भारत द्वारा प्रदान ऋण एवं अग्रिम
		S0025	बाह्य सहायता के कारण भारत को प्राप्त चुकौतियां
01	आयात	S0101	नेपाल एवं भूटान को छोड़कर अन्य देशों को आयात के बदले किया गया अग्रिम भुगतान
		S0102	आयात के लिए भुगतान - नेपाल और भूटान को छोड़कर बीजक का निपटान
		S0103	नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य राजनयिक मिशनों द्वारा आयात
		S0104	मध्यस्थ व्यापार / ट्रांजिट व्यापार अर्थात् भारत से निकलने वाला तृतीय पक्ष का निर्यात
		S0108	मर्चेंटिंग के तहत अधिग्रहीत सामान / मर्चेंटिंग ट्रेड के आयात चरण के प्रति भुगतान
		S0109	नेपाल एवं भूटान से यदि आयात हुआ हो तो उसका भुगतान
02	परिवहन	S0201	भारत में परिचालन करने वाली विदेशी जहाजरानी कंपनियों द्वारा बेशी मालभाड़ा / यात्री किराए का भुगतान
		S0202	विदेश में परिचालन वाली भारतीय जहाजरानी कंपनियों के परिचालन व्यय हेतु भुगतान
		S0203	आयात पर माल भाड़ा - जहाजरानी कंपनियां
		S0204	निर्यात पर माल भाड़ा - जहाजरानी कंपनियां
		S0205	जहाजों (वेसल) (क्रू सहित) का परिचालन पट्टा/किराया - जहाजरानी कंपनियां
		S0206	विदेश में पैसेज बुक करना - जहाजरानी कंपनियां
		S0207	भारत में परिचालन करने वाली विदेशी विमानन कंपनियों द्वारा बेशी मालभाड़े / यात्री किराए का भुगतान
		S0208	विदेश में परिचालन करने वाली भारतीय विमानन कंपनियों के परिचालन व्यय
		S0209	आयात पर मालभाड़ा - विमानन कंपनियां
		S0210	निर्यात पर मालभाड़ा - विमानन कंपनियां
		S0211	जहाजों (वेसल) (क्रू सहित) का परिचालन पट्टा / किराया - विमानन कंपनियां
		S0212	विदेश में पैसेज बुक करना - विमानन कंपनियां

		S0214	जहाजकुली, विलंबन (डेमरेज), पोर्ट हैंडलिंग प्रभार आदि (जहाजरानी कंपनियां) के लिए भुगतान
		S0215	जहाजकुली, विलंबन (डेमरेज), पोर्ट हैंडलिंग प्रभार आदि (विमानन कंपनियां) के लिए भुगतान
		S0216	यात्रियों हेतु भुगतान - जहाजरानी कंपनियां
		S0217	जहाजरानी कंपनियों द्वारा अन्य भुगतान
		S0218	यात्रियों हेतु भुगतान - विमानन कंपनियां
		S0219	विमानन कंपनियों द्वारा अन्य भुगतान
		S0220	परिवहन के अन्य तरीकों (आंतरिक जलमार्ग, सड़क, रेलवे, पाइपलाइन परिवहन एवं अन्य) के तहत मालभाड़े के लिए भुगतान
		S0221	परिवहन के अन्य तरीकों (आंतरिक जलमार्ग, सड़क, रेलवे, पाइपलाइन परिवहन एवं अन्य) के तहत यात्री किराए के लिए भुगतान
		S0222	हवाई जहाज द्वारा डाक एवं कुरियर सेवा
		S0223	समुद्री मार्ग द्वारा डाक एवं कुरियर सेवा
		S0224	अन्य द्वारा डाक एवं कुरियर सेवा
03	यात्रा	S301	कारोबारी यात्रा
		S303	तीर्थयात्रा
		S304	चिकित्सीय इलाज हेतु यात्रा
		S305	शिक्षा (फीस, छात्रावास व्यय आदि सहित) हेतु यात्रा
		S306	अन्य यात्रा (छुट्टी यात्रा एवं अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड लेनदेन निपटान सहित)
05	निर्माण सेवाएं	S501	विदेश में प्रोजेक्ट साइट पर सामान आयात करने सहित भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में प्रोजेक्ट का निर्माण
		S502	भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा प्रोजेक्ट के निष्पादन में निर्माण की लागत आदि
06	बीमा तथा पेंशन सेवाएं	S601	टर्म बीमा को छोड़कर जीवन बीमा प्रीमियम
		S602	मालभाड़ा बीमा - सामान के आयात एवं निर्यात से संबंधित
		S603	पुनर्बीमा सहित अन्य साधारण बीमा प्रीमियम, एवं टर्म जीवन बीमा प्रीमियम
		S605	बीमा पर कमीशन सहित सहायक सेवाएं
		S607	गैर-जीवन बीमा के बीमा दावों का समायोजन; एवं जीवन बीमा (केवल टर्म बीमा)
		S608	जीवन बीमा दावा निपटान
		S609	मानकीकृत गारंटी सेवाएं
		S610	पेंशन निधि हेतु प्रीमियम
		S611	आवधिक पेंशन पात्रताएं अर्थात् भारतीय पेंशन निधि कंपनियों द्वारा पेंशन राशि का मासिक, तिमाही या वार्षिक भुगतान
		S612	मानकीकृत गारंटी को मंगाना (इनवोक)
07	वित्तीय सेवाएं	S701	निवेश बैंकिंग के अलावा वित्तीय मध्यस्थता - बैंक प्रभार, संग्रहण प्रभार, एलसी प्रभार आदि
		S702	निवेश बैंकिंग - दलाली, हामीदारी कमीशन आदि

		S703	सहायक सेवाएं - परिचालन एवं विनियामक शुल्क, कस्टोडियल सेवाएं, डिपॉजिटरी सेवाएं आदि
08	दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना सेवाएं	S801	हार्डवेयर कंसलटेंसी / कार्यान्वयन
		S802	सॉफ्टवेयर कंसलटेंसी / कार्यान्वयन
		S803	डॉटा बेस, डॉटा प्रोसेसिंग प्रभार
		S804	कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर की मरम्मत एवं रखरखाव
		S805	समाचार एजेंसी सेवाएं
		S806	अन्य सूचना सेवाएं - अखबारों एवं आवधिक पत्रिकाओं का अंशदान
		S807	ऑफसाइट सॉफ्टवेयर आयात
		S808	इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवाओं एवं वॉयस मेल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाएं
		S809	स्पेस शटल एवं रॉकेट आदि सहित सेटेलाइट सेवाएं
09	बौद्धिक संपदा (अन्यत्र कहीं शामिल नहीं) के प्रयोग हेतु प्रभार	S901	फ्रेंचाइजी सेवाएं
		S902	मूल उत्पाद या इसके फोटोटाइप (जैसे कि पांडुलिपि या फिल्म), पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एवं औद्योगिक प्रसंस्करण आदि का लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से उपयोग करने के लिए भुगतान
10	अन्य कारोबारी सेवाएं	S1002	ट्रेड संबंधी सेवाएं - निर्यात/आयात पर कमीशन
		S1003	ऑपरेटिंग क्रू के बिना परिचालन संबंधी पट्टा सेवाएं (वित्तीय पट्टे के अलावा), चार्टर हायर सहित - विमानन कंपनियां
		S1004	कानूनी सेवाएं
		S1005	लेखा, लेखा-परीक्षा, बही खाता सेवाएं
		S1006	कारोबारी एवं प्रबंधन परामर्शदात्री तथा जन संपर्क सेवाएं
		S1007	विज्ञापन, ट्रेड फेयर सेवाएं
		S1008	अनुसंधान एवं विकास सेवाएं
		S1009	वास्तुविद सेवाएं
		S1010	कीड़ों एवं बीमारियों से बचाव, फसल की पैदावार बढ़ाने, वन सेवाओं आदि के लिए कृषि सेवाएं
		S1011	विदेश में कार्यालय के रखरखाव के लिए भुगतान
		S1013	पर्यावरण सेवाएं
		S1014	अभियांत्रिकी सेवाएं
		S1015	कर परामर्श सेवाएं
		S1016	बाजार अनुसंधान एवं जन राय सर्वेक्षण सेवाएं
		S1017	प्रकाशन एवं छपाई सेवाएं
		S1018	खदान सेवाएं जैसे कि ऑन साइट प्रसंस्करण अयस्क विश्लेषण आदि
		S1020	कमीशन एजेंट सेवाएं
		S1021	थोक एवं खुदरा व्यापार सेवाएं
		S1022	ऑपरेटिंग क्रू के बिना परिचालन संबंधी पट्टा सेवाएं (वित्तीय पट्टे के अलावा), चार्टर हायर सहित - जहाजरानी कंपनियां

		S1023	वैज्ञानिक / अंतरिक्ष सेवाओं सहित अन्य तकनीकी सेवाएं
		S1099	वे सेवाएं जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है
11	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं	S1101	चलचित्र जैसी दृश्य-श्रव्य एवं संबंधित सेवाएं एवं वीडियो टेप का उत्पादन, वितरण एवं प्रक्षेपण सेवाएं
		S1103	रेडियो एवं टेलिविजन का उत्पादन, वितरण एवं ट्रांसमिशन सेवाएं
		S1104	मनोरंजन सेवाएं
		S1105	संग्रहालय, पुस्तकालय एवं पुरात्व सेवाएं
		S1106	मनोरंजन एवं खेलकूद गतिविधियों से संबंधित सेवाएं
		S1107	शिक्षा (जैसे कि विदेश में पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु शुल्क)
		S1108	स्वास्थ्य सेवाएं (अस्पतालों, डाक्टरों, नर्सों, पैरामेडीकल एवं अन्य ऐसी ही सेवाएं आदि दूर से या ऑन साइट; उपलब्ध कराई गई हों तो इन सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान)
		S1109	अन्य व्यक्तिगत, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं
12	सरकार अन्यत्र शामिल नहीं	S1201	विदेश में भारतीय दूतावासों का रखरखाव
		S1202	भारत स्थित विदेशी दूतावासों का विप्रेषण
13	द्वितीयक आय	S1301	परिवार के रखरखाव एवं बचत हेतु विप्रेषण
		S1302	व्यक्तिगत उपहार एवं दान हेतु विप्रेषण
		S1303	विदेश में धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थानों को दान हेतु विप्रेषण
		S1304	अन्य सरकारों तथा सरकार द्वारा स्थापित धर्मार्थ संस्थानों को अनुदान एवं दान हेतु विप्रेषण
		S1305	सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को सहायता/दान
		S1306	करों के भुगतान / वापिसी हेतु विप्रेषण
		S1307	व्यक्तिगत सामान सहित आप्रवासन अंतरण हेतु बहिर्वाह
14	प्राथमिक आय	S1401	कर्मचारी को क्षतिपूर्ति
		S1402	अनिवासी जमा (एफसीएनआर (बी) / एनआर (ई) आरए आदि) पर ब्याज हेतु विप्रेषण
		S1403	अनिवासियों (एसटी / एमटी / एलटी ऋण) से ऋण आदि पर ब्याज के लिए विप्रेषण जैसे कि बाह्य वाणिज्यिक उधार, ट्रेड क्रेडिट आदि
		S1405	प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अपने स्वयं के खाते (विस्ट्रो खाताधारकों को या नोस्ट्रो खाते में से ओवरड्राफ्ट) में ब्याज भुगतान के लिए विप्रेषण
		S1408	भारत में एफडीआई उद्यम (बैंक शाखाओं सहित विदेशी कंपनियों की शाखाओं द्वारा) द्वारा लाभ का विप्रेषण
		S1409	भारत में एफडीआई उद्यम (शाखाओं के अलावा) द्वारा ईकिटी एवं निवेश निधि शेयरों पर लाभांश का विप्रेषण
		S1410	भारत में एफडीआई उद्यम द्वारा विदेश स्थित अपनी मूल कंपनी को ब्याज का भुगतान
		S1411	भारत में संविभाग निवेश पर हुई ब्याज आय का विप्रेषण
		S1412	ईकिटी तथा निवेश निधि शेयर पर भारत में संविभाग निवेश पर हुई आय के लाभांश का विप्रेषण

15	अन्य	S1501	निर्यात के बीजक मूल्य से वापिसी / छूट / कटौती
		S1502	गलत प्रविष्टियों को पलटना, गैर-निर्यात के विप्रेषित राशि की वापिसी
		S1503	अंतरराष्ट्रीय बोली हेतु निवासियों द्वारा भुगतान
		S1504	आनुमानिक बिक्री जब निर्यात बिल पराक्रम्य/ खरीदा गया हो/ बट्टे में हो तो इसके डिसऑनर/क्रिस्टिलाइज़/रद्द होने पर इसे उचंत खाते में से प्रतलोमित किया जाए
		S1505	माने गए (डीमड) निर्यात (एसईज़ेड, ईपीज़ेड एवं घरेलू टैरिफ क्षेत्रों के बीच में निर्यात)
16	रखरखाव एवं मरम्मत	S1601	वेसल्स, जहाज, नाव, युद्धपोत आदि के रखरखाव एवं मरम्मत सेवाओं के लिए किया गया भुगतान
	सेवाएं (अन्यत्र शामिल नहीं)	S1602	हवाई जहाज, अंतरिक्ष शटल, रॉकेट, सैन्य हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि के रखरखाव एवं मरम्मत सेवाओं के लिए किया गया भुगतान
17	विनिर्माण सेवाएं (प्रसंस्करण हेतु सामान)	S1701	सामान के प्रसंस्करण के लिए भुगतान

क्रम सं	परिपत्र सं	शीर्षक	तारीख
1.	ए.पी.(डी आई आर शृंखला) परिपत्र सं 1	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999	1 जून, 2000
2.	" " " 19	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 विदेश यात्रा	30 अक्टूबर, 2000
3.	" " " 20	" " "	16 नवंबर, 2000
4.	" " " 11	विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना – मुद्रा घटक	13 नवंबर, 2001
5.	" " " 53	क्रेडिट कार्ड का प्रयोग	27 जून, 2002
6.	" " " 16	छोटे मूल्य विप्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना	12 सितंबर, 2002
7.	" " " 37	निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) खाता निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधा	1 नवंबर, 2002
8.	" " " 51	विदेश में निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने में वृद्धि	18 नवंबर, 2002
9.	" " " 53	निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) खाता – निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधा	23 नवंबर, 2002
10.	" " " 54	विविध प्रयोजनों के लिए विदेश मुद्रा का विप्रेषण	25 नवंबर, 2002
11.	" " " 64	निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) खाता – निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधा	24 दिसंबर, 2002
12.	" " " 65	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम – दी जाने वाली सेवाओं के लिए अग्रिम विप्रेषण	6 जनवरी, 2003
13.	" " " 73	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 – चालू खाता लेनदेन – विदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग	24 जनवरी, 2003
14.	" " " 103	अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड – निवासियों के लिए सुविधाओं का उदारीकरण	21 मई, 2003
15.	" " " 3	चालू खाता लेनदेन – उदारीकरण	17 जुलाई, 2003
16.	" " " 7	चालू खाता लेनदेन – उदारीकरण – स्पष्टीकरण	12 अगस्त, 2003
17.	" " " 8	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999	16 अगस्त, 2003
18.	" " " 33	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 – चालू खाता लेनदेन – उदारीकरण	13 नवंबर, 2003
19.	" " " 55	विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना	23 दिसंबर, 2003
20.	" " " 64	निवासी व्यक्तियों के लिए 25,000 अमेरिकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना	4 फरवरी, 2004

21.	"	"	"	71	रूपये में स्टेट क्रेडिट की चुकौती के विरुद्ध रशिया को वस्तुओं का निर्यात – एजेंसी कमीशन का भुगतान	20 फरवरी, 2004
22.	"	"	"	76	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999 – चालू खाता लेनदेन – उदारीकरण	24 फरवरी, 2004
23.	"	"	"	77	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम – आय रिटर्न समेकन के लिए दिशानिर्देश	13 मार्च, 2004
24.	"	"	"	86	फेमा 1999 – चालू खाता लेनदेन – विदेश में निकट संबंधियों के निर्वाह के लिए विप्रेषण – विदेशी कंपनियों से भारत में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय नागरिकों के अनुरोध	17 अप्रैल, 2004
25.	"	"	"	20	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 – चालू खाता लेनदेन – ट्रांस्पॉजेंट के किराया, प्रभार का विप्रेषण – कार्यविधि में परिवर्तन	25 अक्टूबर, 2004
26.	"	"	"	38	निवासी व्यक्तियों के लिए 25,000 अमेरिकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना	31 मार्च, 2005
27.	"	"	"	46	भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड / स्टोर वैल्यू कार्ड / चार्ज कार्ड / स्मार्ट कार्ड का प्रयोग	14 जून, 2005
28.	"	"	"	25	प्राधिकृत व्यक्ति – श्रेणीकरण	6 मार्च, 2006
29.	"	"	"	13	सेवा आयातकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करना	17 नवंबर, 2006
30.	"	"	"	14	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 – चालू खाता लेनदेन – उदारीकरण	28 नवंबर, 2006
31.	"	"	"	24	निवासी व्यक्तियों के लिए 50,000 अमेरिकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना	20 दिसंबर, 2006
32.	"	"	"	38	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 – चालू खाता लेनदेन नियम – संशोधन	5 अप्रैल, 2007
33.	"	"	"	58	विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेश मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन तथा अभ्यर्पण) विनियम	18 मई, 2007
34.	"	"	"	9	निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना सीमा बढ़ाकर 1,00,000 अमेरिकी डालर के स्थान पर 2,00,000 अमेरिकी डालर की गई	26 सितंबर, 2007
35.	"	"	"	36	निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना	4 अप्रैल, 2008
36.	विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000				विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000	3 मई, 2000

37.	" " " 15	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 – सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण	8 सितंबर 2008
38.	" " " 40 ए.पी.(एफ.एल.शृंखला)परिपत्र सं.03	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम – विदेशी यात्रा – रूपये में विदेश यात्रा – रूपये में भुगतान की कार्यविधि	10 दिसंबर, 2008
39.	" " " 11	सेवा आयातकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करना	5 अक्टूबर 2009
40.	" " " 50 एफ पी (एल एल शृंखला 7)	विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना – मुद्राघटक	4 मई, 2010
41.	" " " 52 ए.पी. (डी आई आर शृंखला)	विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेमा) 1999 चालू खाता लेनदेन उदारीकरण	13 मई, 2010
42.	" " " 29	भारत से बाहर होने पर निवासी व्यक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड / स्टोर वैल्यू कार्ड / चार्ज कार्ड / स्मार्ट कार्ड का प्रयोग	22 दिसंबर, 2010
43.	" " " 48	विदेशी बैंकों द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड लेनदेनों का अधिग्रहण – हवाई टिकटों का भुगतान	5 अप्रैल, 2011
44.	" " " 17	निवासी व्यक्तियों द्वारा रुपयों में अनिवासी निकट संबंधियों को उपहार	16 सितंबर, 2011
45.	" " " 18	निवासी व्यक्तियों द्वारा रुपयों में अनिवासी निकट संबंधियों को ऋण	16 सितंबर, 2011
46.	" " " 32	निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – संशोधित आवेदन सह घोषणा फार्म	10 अक्टूबर, 2011
47.	" " " 37	(i) स्थायी रूप से भारत में बसने के लिए जो अनिवासी भारतीय वापस लौट आए हैं उनके द्वारा विदेशों में धारित आस्तियों के विक्रय तथा आय की राशि (ii) उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन विप्रेषणों के माध्यम से विदेश में अधिग्रहित आस्तियों की विक्रय राशि तथा आय	19 अक्टूबर, 2011
48.	" " " 90	स्पष्टीकरण – निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना	6 मार्च, 2012
49.	" " " 102	भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड / स्टोर वैल्यू कार्ड / चार्ज कार्ड / स्मार्ट कार्ड	2 अप्रैल, 2012
50.	" " " 118	विविध प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना	7 मई, 2012
51.	" " " 106	निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – रिपोर्टिंग	23 मई, 2013

52.	"	"	"	24	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – सीमा को 2,00,000 अमेरिकी डालर से 75,000 अमेरिकी डालर करना	14 अगस्त, 2013
53.	"	"	"	32	उदारीकृत विप्रेषण योजना – स्पष्टीकरण	4 सितंबर, 2013
54.	"	"	"	138	निवासी व्यक्तियों के लिए एल आर एस – सीमा को 75,000 अमेरिकी डालर से बढ़ा कर 1,25,000 अमेरिकी डालर करना	3 जून, 2014
55.	"	"	"	5	निवासी व्यक्तियों के लिए एल आर एस – सीमा को 75,000 अमेरिकी डालर से बढ़ा कर 1,25,000 अमेरिकी डालर करना	17 जुलाई, 2014
56.	"	"	"	19	निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना	11 अगस्त 2014
57.	"	"	"	40	हज़ / उमराह तीर्थयात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना	21 नवंबर, 2014
58.	"	"	"	106	I. निवासी व्यक्तियों के लिए एल आर एस – सीमा 1,25,000 अमेरिकी डालर से बढ़ा कर 2,50,000 अमेरिकी डालर करना और चालू खाता लेनदेनों का युक्तिकरण II. अन्य के लिए विप्रेषण सुविधाएं	01 जून 2015
59.	"	"	"	50	एफ ई टी ई आर एस के अधीन आय रिटर्न का समेकन	11 फरवरी, 2016
60.	ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.04				फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड/ स्टोर वैल्यू कार्ड/ ट्रेवल कार्ड, आदि पर शुल्क लगाना	09 मई 2023